राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 24/2015/भरतपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–चतुर्थ, वृत–बी, भरतपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स गर्ग सीमेंट एण्ड सप्लायर, बयाना, भरतपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :
श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 21/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 27/आरवेट/2013–14/उपा/अपील्स/भरतपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ, वृत्त–बी, बयाना, भरतपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 33 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 23.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2009–10 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.06.2011 को प्रस्तुत ट्रेडिंग अकाउण्ट के आधार पर पारित किया था। ट्रेडिंग अकाउण्ट में व्यवहारी द्वारा अपने व्यापार में रूपये 21,446/– की हानि दर्शाई गई थी, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया गया था परन्तु बाद में ऑडिट पार्टी द्वारा उक्त हानि पर करारोपण करने के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा हानि की राशि को बिक्री मानकर 14 प्रतिशत से कर रूपये 3002/– एवं तद्नुसार ब्याज आरोपित किया गया, जिसके विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट विवेचन करते हुए यह निर्णय दिया कि किसी व्यवहारी के व्यवसाय में हानि हो जाने से उस हानि की राशि को बिक्री की राशि माना जाना भी बिना किसी साक्ष्यों के अनुचित है। अपीलीय अधिकारी द्वारा किये गये निर्णय में किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं है अतः अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

लगातार.....2

4. साथ ही प्रकरण में यह टिप्पणी करना उचित समझता हूं कि इस सम्बन्ध में मात्र 3000/– के अनुचित करारोपण के विरूद्ध भी राजस्थान कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत की जाना विचारणीय है, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से निरन्तर रूपये 5000/– से कम के मामलों में द्वितीय अपील नहीं किये के निर्देश दिये जाते रहे हैं जिससे कि वादकरण कम हो सके। उक्त टिप्पणी के साथ विभाग की अपील खारिज की जाती है।

5. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य